न्यायालय जिला कलक्टर, बाड़मेर
पीठासीन अधिकारी : अंशदीप, आई0ए0एस0

राजस्व अपील सं. 66/2017

अपीलांट्स–
1. थानाराम गोदपुत्र करनाराम
2. खेताराम पुत्र चैनाराम
3. मूलाराम पुत्र चैनाराम
4. मूमल बेवा चैनाराम

जाति जाट निवासी गोदारों की बेरी, तहसील सिणधरी जिला बाड़मेर

बनाम

रेस्पोडेंट्स –
1. तहसीलदार सिणधरी
2. राणाराम पुत्र मोटाराम
3. भींयाराम पुत्र नगाराम
4. चुतराराम पुत्र नगाराम
5. टीकमाराम पुत्र रूखमणाराम
6. नीम्बाराम पुत्र जुगताराम

जाति जाट निवासी ढेलानाडी, तहसील गुड़ामालानी जिला बाड़मेर

राजस्व अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 विरूद्ध आदेश ग्राम गोदारों की बेरी के नामान्तरकरण सं. 167 स्वीकृति दिनांक 22.04.2013 जो तहसीलदार सिणधरी द्वारा पारित किया गया।

उपस्थिति :–
1. श्री जोगराज पोटलिया, अधिवक्ता अपीलांट्स की ओर से उपस्थित।
2. श्री नारायण कुमावत, अधिवक्ता रेस्पो0 सं. 2से6 की ओर से उपस्थित।
3. राजकीय अधिवक्ता, रेस्पोडेंट सं. 1 की ओर से उपस्थित।

न्यायालय जिला कलक्टर बाड़मेर (राजस्थान)

आदेश

दिनांक : 30/10/2019

अपीलांट्स की ओर से यह प्रथम अपील धारा 75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 के अन्तर्गत मौजा गोदारों की बेरी के नामान्तरकरण सं. 167 पर तहसीलदार सिणधरी द्वारा पारित आदेश दिनांक 22.04.2013 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है।

2. प्रस्तुत अपील के संक्षिप्त तथ्य यह है कि मौजा गोदारों की बेरी के खसरा नम्बर 47, 48 व 48/2 रकबा क्रमशः 01–00, 57–04, 11–10 बीघा कुल रकबा 69–14 बीघा भूमि खेता, मूला पि0 चैना मु0 मूमल बेवा चैना 1/3 लक्ष्मी बेवा करना 1/3 उमा वल्द मोटा 1/3 कौम जाट साकिन देह खातेदारान के नाम राजस्व रेकर्ड जमाबंदी मे दर्ज थी। न्यायालय सहायक कलक्टर (एसडीओ) गुड़ामालानी के द्वारा मुकदमा संख्या 03/2013 अनवान

जिला कलक्टर
बाड़मेर

राणाराम बनाम खेताराम में पारित निर्णय दिनांक 18.04.2013 की पालना मे हल्का पटवारी द्वारा नामान्तरकरण सं. 167 खेताराम, मूलाराम पि0 चैनाराम, श्रीमती मूमों पत्नी चैनाराम 1/2 हि0 सा0 देह, राणा उर्फ उमा पुत्र मोटा 1/2 हि0 सा0 ढेलाणी नाडी कौम जाट खातेदार के नाम दायर कर तहसीलदार सिणधरी के समक्ष प्रस्तुत किया। तहसीलदार सिणधरी द्वारा इसे उक्त न्यायालय आदेश की अनुपालना मे दिनांक 22.04.2013 को स्वीकृत कर दिया। अपीलांट्स द्वारा उक्त नामान्तरकरण्ण स्वीकृति आदेश के विरूद्ध यह अपील इस न्यायालय के समक्ष दिनांक 10.02.2017 को प्रस्तुत की गई है तथा अपील प्रस्तुत करने मे हुए विलम्ब को क्षमा करने हेतु धारा 5 मयाद अधिनियम के तहत प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र प्रस्तुत किये गये हैं।

3. अपीलांट्स द्वारा प्रस्तुत अपील में मयाद के बिन्दु पर निर्णय सुरक्षित रखते हुए दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेंट्स को जरिये सम्मन तलब किया गया। अपीलाधीन नामान्तरकरण की मूल प्रति मंगवाई जाकर कर वास्ते अवलोकन हमफीता किया गया।

4. हमने पत्रावली का अवलोकन किया तथा उभय पक्षकारान के अधिवक्तागण को सुना। अपीलांट्स के योग्य अधिवक्ता ने प्रकट किया कि रेस्पोडेंट सं. 2 राणाराम द्वारा न्यायालय सहायक कलक्टर (एसडीओ) गुड़ामालानी के समक्ष राजस्व वाद संख्या 03/2013 अन्तर्गत धारा 53, 88, 92, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 पेश किया गया। इस वाद मे बिना अपीलांट्स की समुचित सुनवाई किये मात्र 45 दिवस मे ही एकपक्षीय निर्णय एव डिक्री दिनांक 18.04.2013 को पारित कर दी गई। अपीलांट्स को इस निर्णय एवं डिक्री की जानकारी होने पर प्रथम अपील राजस्व अपील प्राधिकारी बाड़मेर के समक्ष प्रस्तुत की गई। रेस्पोडेंट्स द्वारा अधिनस्थ न्यायालय के निर्णय व डिक्री की पालना मे अपीलाधीन नामान्तरकरण सं. 167 पारित कर 22.04.2013 को स्वीकृत कर दिया। अपीलांट्स के द्वारा राजस्व अपील प्राधिकारी के समक्ष प्रस्तुत अपील सं. 41/2013 मे न्यायालय द्वारा निर्णय दिनांक 30.01.2015 के द्वारा अधिनस्थ न्यायालय के निर्णय व डिक्री दिनांक 18.04.2013 को अपास्त करते हुए प्रकरण पुनः सुनवाई हेतु रिमाण्ड किया गया। इस पर अधिनस्थ न्यायालय सहायक कलक्टर (एसडीओ) गुड़ामालानी के समक्ष धारा 144 सीपीसी के अन्तर्गत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर राजस्व रेकर्ड जमाबन्दी मे पूर्व की स्थिति बहाल किये जाने का निवेदन किया। अपीलांट्स के द्वारा प्रस्तुत उक्त प्रार्थना पत्र आदेश दिनांक 03.10.2016 के द्वारा खारिज कर दिया गया और

न्यायालय जिला कलक्टर बाड़मेर (राजस्थान)

जिला कलक्टर
बाड़मेर

ग्राम गोदारों की बेरी का नामान्तरकरण सं. 167 आज भी यथावत है जबकि यह नामान्तरकरण जिस निर्णय की पालना मे भरा गया था उसे अपील न्यायालय द्वारा अपास्त कर दिया गया हैं। अतः तहसीलदार सिणधरी द्वारा ग्राम गोदारों की बेरी के नामान्तरकरण सं. 167 को निरस्त फरमाया जावें और पूर्व की स्थिति बहाल करने का आदेश प्रदान करावें।

5. रेस्पोडेंट्स के अधिवक्ता द्वारा जवाब मे निवेदन किया कि अपीलाधीन नामान्तरकरण सं. 167 सक्षम न्यायालय सहायक कलक्टर (एसडीओ) गुड़ामालानी द्वारा पारित निर्णय की अनुपालना मे स्वीकृत किया गया है, जिसमे किसी प्रकार की कोई त्रुटि नहीं होने से प्रस्तुत अपील खारिज योग्य हैं। सहायक कलक्टर (एसडीओ) गुड़ामालानी के उक्त निर्णय के विरूद्ध अपीलांट्स द्वारा प्रस्तुत अपील मे राजस्व अपील प्राधिकारी द्वारा निर्णय पारित कर उक्त निर्णय एवं डिक्री को अपास्त कर प्रकरण पुनः सुनवाई हेतु रिमाण्ड किया गया हैं। इस पर अपीलांट द्वारा अधिनस्थ न्यायालय सहायक कलक्टर (एसडीओ) गुड़ामालानी के समक्ष धारा 144 सीपीसी का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर राजस्व रेकर्ड मे पूर्व की स्थिति बहाल किये जाने का निवेदन किया। अपीलार्थी के द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र आदेश दिनांक 03.10.2016 के द्वारा खारिज कर दिया गया है, इस पर यदि अपीलांट इस आदेश से असंतुष्ट हैं तो उक्त प्रार्थना पत्र मे पारित आदेश के विरूद्ध सक्षम न्यायालय के समक्ष रिवीजन प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर चाराजोही करनी चाहिए। अपीलांट की ओर से अधिनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत धारा 144 के प्रार्थना पत्र पर पारित आदेश के विरूद्ध इस न्यायालय को सुनवाई क्षेत्राधिकार नहीं होने से यह अपील खारिज योग्य हैं।

रेस्पोडेंट्स के अधिवक्ता ने यह भी निवेदन किया कि अपीलाधीन नामान्तरकरण स्वीकृत होने की जानकारी अपीलांट्स को दिनांक 23.04.2013 को हो चुकी थी जब अपीलांट्स द्वारा हल्का पटवारी से प्रतिलिपि पी–35 क्रमांक 2341 दिनांक 23.04.2013 को प्राप्त की गई थी। अपीलांट्स द्वारा उक्त प्रतिलिपि ही इस अपील के संलग्न प्रस्तुत की गई है, इस प्रकार अपीलांट्स द्वारा यह अपील प्रस्तुत करने मे सद्भाविक विलम्ब नहीं किया हैं, अपितु जानबूझकर विलम्ब से पेश की गई है। अतः प्रस्तुत अपील मयाद बहार होने से खारिज योग्य हैं। अतः अपीलांट्स द्वारा प्रस्तुत यह अपील गुणावगुण, क्षेत्राधिकार एवं मयाद के बिन्दुओ पर खारिज योग्य होने से मय खर्चा खारिज फरमाई जावें।

न्यायालय जिला कलक्टर बाड़मेर (राज.)

जिला कलक्टर
बाड़मेर

7. हमने अधिवक्ता प्रार्थीगण द्वारा प्रकट तथ्यों पर मनन किया एवं अपीलाधीन अभिलेख का अवलोकन किया, जिससे यह पाया जाता है कि अपीलाधीन नामान्तरकरण सं. 167 न्यायालय सहायक कलक्टर (एसडीओ) गुड़ामालानी के द्वारा राजस्व वाद संख्या 03/2013 अन्तर्गत धारा 53, 88, 92, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 मे पारित निर्णय एव डिक्री दिनांक 18.04.2013 की पालना में स्वीकृत किया गया हैं। अपीलांट के अधिवक्ता का कथन हैं कि सहायक कलक्टर (एसडीओ) गुडामालानी के उक्त निर्णय व डिक्री को राजस्व अपील प्राधिकारी द्वारा अपास्त कर मामला पुनः सुनवाई हेतु रिमाण्ड किया गया हैं, इस आधार पर अपीलाधीन नामान्तरकरण को निरस्त कर रेकर्ड में पूर्व की स्थिति बहाल की जावें। अपीलांट द्वारा अधिनस्थ न्यायालय के समक्ष राजस्व अपील प्राधिकारी के निर्णय के आधार पर धारा 144 सीपीसी का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर रेकर्ड में पूर्व की स्थिति बहाल किये जाने का निवेदन किया गया, जिसे अधिनस्थ न्यायालय द्वारा अस्वीकार कर प्रार्थना पत्र खारिज कर दिया। उक्त तथ्य अभिलेख पर स्वंय अपीलांट द्वारा प्रकट किये गये हैं, ऐसे मे जब सक्षम न्यायालय द्वारा अपीलांट का धारा 144 सीपीसी का प्रार्थना पत्र खारिज कर दिया हैं तो इसके विरूद्ध यह नामान्तरकरण अपील कतई मेंटेनेबल नहीं होती है बल्कि उसे सक्षम न्यायालय के समक्ष रीविजन प्रस्तुत कर चाराजोही करनी चाहिए। अपीलाधीन नामान्तरकरण दायर करने एवं उसकी स्वीकृति में किसी प्रकार की कोई विधिक या वाक्याती भूल नहीं हुई हैं। अपीलाधीन नामान्तरकरण स्वीकृति के पश्चात की कार्यवाही अथवा निर्णय से नामान्तरकरण की वैधानिकता को चुनौती नहीं दी जा सकती हैं। अतः अपीलांट्स द्वारा प्रस्तुत अपील सारहीन एवं आधारहीन तथ्यों पर आधारित होने से खारिज योग्य हैं।

8. अतः उपर्युक्त तथ्यों एवं परिस्थितियों पर विवेचन एवं विश्लेषण के परिणामस्वरूप प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत यह अपील सारहीन एवं आधारहीन तथ्यों पर आधारित होने से खारिज की जाती हैं।

निर्णय आज दिनांक 30.10.2019 को खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

न्यायालय जिला कलक्टर बाड़मेर (राजस्थान)

(अंशदीप)
जिला कलक्टर, बाड़मेर
जिला कलक्टर
बाड़मेर